

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 048/2021 (GCMS 2021/48)	दायर दिनांक 12.04.2021	निर्णय दिनांक 11.08.2021
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र विजय कुमार अग्रवाल
खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक
मैसर्स न्यू मुकेश किराणा, बस स्टैण्ड, केली निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़
312601
निवासी 433, काछी मौहल्ला, केली निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़
312601

अप्रार्थी

**--: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट
2006 नियम 2011 :-**

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक अप्रैल 11, 2012 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.11.2020 को समय मध्याह्न 12.30 पी एम पर मैसर्स न्यू मुकेश किराणा, बस स्टैण्ड, केली निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ पर पहुँचे। वहां पर मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र विजय कुमार अग्रवाल उपस्थित मिले। मुकेश कुमार अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर मुकेश कुमार अग्रवाल ने स्वयं को मैसर्स न्यू मुकेश किराणा, बस स्टैण्ड, केली



निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ का खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य रजिस्ट्रेशन नहीं होना एवं स्वयं के आधार कार्ड को स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु कॉच की बरनी में रखी लगभग 3 किलोग्राम नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) के अमानक का शक होने पर 2 किलोग्राम नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक सदीप रस्तोगी को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जाँच खरीदी, जिसकी कीमत मुकेश कुमार अग्रवाल को 240/- रुपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मुकेश कुमार अग्रवाल एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक मुकेश कुमार अग्रवाल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) 2 किलोग्राम को चार साफ, सूखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में मैश कर बराबर-बराबर डाला (प्रत्येक जार में 500 ग्राम) एवं प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक जार पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर चित्तौड़गढ़ के कोड एवं क्रमांक एएम-1248 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं एएम-1248 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मुकेश कुमार अग्रवाल एवं



गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म संख्या 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक उदयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक उदयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 4759 दिनांक 19.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एल.एस/323/एक्ट/2020/334 दिनांक 13.11.2020 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। मुकेश कुमार अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स न्यू मुकेश किराणा, बस स्टैण्ड, केली, निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन लिये खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाना पाया गया (मौके पर उनके द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया गया) जो कि जुर्माने से दण्डनीय है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन है। उक्त प्रकरण में मुकेश कुमार अग्रवाल ने खाद्य पदार्थ नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके FSSA 2006 की धारा 3(1)(zx) [B.R. Reading 49.90 in place of 58.5 to 68.0 and Iodine value 52.30 in place of 120-141], धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसके अन्तर्गत किये गये अपराध के लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 51 के अन्तर्गत निहित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्यायनिर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी



द्वारा परिवाद के के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कमरा नं. बी-7, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान, गवाह संख्या 2 शम्भुलाल पुत्र जगदीश चन्द्र, 196 शास्त्री नगर चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 3 महेश पाटीदार पुत्र जगदीश पाटीदार, उम्र 25, मौहल्ला काछी, केली जिला चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 4 डॉ० रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं गवाह संख्या 5 रवि सेठी, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति।
2. एरीया नोटिफिकेशन की छायाप्रति।
3. पदस्थापन आदेश छायाप्रति।
4. खरीद रसीद मूल।
5. फार्म न० 5 ए मूल।
6. फर्द रिपोर्ट मूल।
7. खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की नमूना प्राप्ति रसीद मूल।
8. खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की फार्म न० 6 की रसीद मूल।
9. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ की नमूना प्राप्ति रसीद मूल।
10. अभिहित अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राप्त विश्लेषण सूचनापत्र मूल।
11. खाद्य विश्लेषक, उदयपुर का विश्लेषण सूचना फार्म नं० बी मूल।
12. मुकेश कुमार अग्रवाल मैसर्स न्यू मुकेश किराणा, बस स्टैण्ड केली, निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़ से मौके पर प्राप्त स्वयं के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियाँ।
13. अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी अभियोजन संस्थित किये जाने की स्वीकृति का मूल पत्र।

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 11.08.2021 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार से जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक तौर पर स्वीकार किया एवं प्रथम अपराध होने से प्रकरण में माफ किये जाने का निवेदन किया। इस पर हमने हाजिर अप्रार्थी को



सुना। हमने पत्रावली को आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मक्खन बडा(घी से निर्मित) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 4 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 11.11.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 11.11.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1248 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 76 से सील चपड़ी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-1248 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 8 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 12.11.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज का



अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4759 दिनांक 19.11.2020 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 323/ACT/2020/334 Dated 13-11-2020 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 323/ACT/2020/334 Dated 13-11-2020 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

Report No. LS 323/ACT/2020/334 Dated 13-11-2020

Certified that I RAVI SETHI duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Vishal Mittal Food Safety Officer, (Central Team) Directorate, Jaipur a sample of Makhan Bada bearing code no. and serial no. AM-1248 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 12.11.2020 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 76 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Namkeen falling under Regulation No. 2.12.1(Proprietary food) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 12.11.2020 to 13.11.2020 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description:- The Sample packed in wide mouth plastic pet jar.

(ii) Physical appearance:- Yellowish and solid in appearance.

(iii) Label:- The loose sample of Namkeen –Losse Prepared in Ref. Soyabean oil.

Opinion:- The sample of Namkeen –Losse Prepared in Ref. Soyabean oil Bearing code no. and serial no. AM-1248 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard Food. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 76 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 12.11.2020 से 13.11.2020 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि Namkeen falling under Regulation No. 2.12.1(Proprietary food) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. Namkeen – Losse Prepared in Ref. Soyabean oil Bearing code no. and serial no. AM-1248 of Designated



officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard Food. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006. उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1248 खाद्य पदार्थ नमकीन (रिफाईन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित) सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को पत्रांक/एफएसएसए/2020/4759 दिनांक 19.11.2020 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। नमूने की जांच रिपोर्ट एवं प्रकरण में किये गये अनुसंधान के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/922 दिनांक 01.03.2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 13 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किया है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये हैं :-



25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

- (1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.



- (2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is—
- Supplied after the date of its expiry; or
 - Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
 - Unsafe or misbranded; or
 - Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
 - Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
 - received by him with knowledge of being unsafe.
- (2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –
- sold after the date of its expiry; or
 - handled or kept in unhygienic conditions; or
 - misbranded; or
 - unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
 - received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र विजय कुमार अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स न्यू मुकेश किराणा, बस स्टैण्ड, केली निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ 312601 निवासी 433, काछी मौहल्ला, केली निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ 312601 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के तहत दोष सिद्ध अभिवृत्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभिवृत्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये



जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार-

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

- The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
- The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
- The repetitive nature of the contravention,
- Whether the contravention is without his knowledge, and
- Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र विजय कुमार अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स न्यू मुकेश किराणा, बस स्टैण्ड, केली निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ 312601 निवासी 433, काछी मौहल्ला, केली निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ 312601 को रूपये 15000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 11.08.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

